



203

फनरीण क्र. .../14

माननीय मध्यप्रदेश ~~सिद्ध~~ मण्डल ग्वालियर कैम्प इंदौर

1. नंदराम पिता देवाजी धील आयु 70 साल
धंधा कृषि निवासी ग्राम सिहोद तह. महु जि. इंदौर

2. हरिसिंह पिता बाबूलाल जाति धील
आयु 55 साल धंधा कृषि
निवासी ग्राम सिहोद तह. महु जिला इंदौर ... प्रार्थीगण
विरुद्ध

R-867-PBR/14

1. मधुकर पिता धवानी शंकर
निवासी म.नं. 11 अग्रवालनगर
सपना संगीतारोड इंदौर

श्री अजीत दरबारी
अभिभाषक द्वारा
आज दिनांक 18-2-14
को इन्द्र कैम्प पर
उपस्थित
18-2-14

2. मांगीलाल पिता कालू गारी
आयु 65 साल धंधा कृषि
निवासी ग्राम सिहोद तह. महु जिला इंदौर

3. रामेश्वर पिता कालूगारी
आयु 62 साल धंधा कृषि
निवासी ग्राम सिहोद तह. महु जिला इंदौर .. प्रतिप्रार्थीगण

11-3-14

पुनरीण याचिका अंतर्गत धारा 50 § 1 § 10 प्रो भू राजस्व संहिता
1959

याचिकाकत गिण का सादर निवेदन है कि -

नंदराम
दरबारी

क. यहकि रा.प्र.क्र. 22/अ 6/2012-13 में अधीनस्थ न्यायालय
नायब तहसीलदार टप्पा मानपुर तहसील महु द्वारा पारित आदेश
दिनांक 31.12.2013 एवं दिनांक 16.1.2014 से व्यथित होकर यह
पुनरीण याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है -

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि ग्राम सिहोद ते. महु में स्थित सर्वे नं. 294/3 रकबा
0.759 हे० कृषि भूमि प्रतिप्रार्थी 2 व 3 के नाम पर राज

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

पकरण क्रमांक निगरानी 867-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p>	 अध्यक्ष


 232